75

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 120/2015

उनवान :

1. रामनिवास पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. जडिया बेवा हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. शान्ति पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. परमेश्वरी पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. बसकर पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. जमना पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा। (फौत)
   5/1 कृष्ण कुमार, 5/2 रमेश कुमार, 5/3 राजबाला, 5/4 मन्जु, 5/5 शर्मिला पुत्र/पुत्रियां जमना
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. उपपंजीयक भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनिया एवं वकील प्रतिवादी सं0 5/1 ता 5/5 श्री धीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम मलसीसर की खसरा स0 229 की 6.829 है0 कृषि भूमि का वादी वसीयतन अकेला खातेदार काश्तकार इतकाल सं0 1270 दिनांक 21.05.2015 वादी के बमुकाबले शून्य व प्रभावहीन है, जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 325/325 से जडीया देवी पत्नी हरचंद, रामनिवास, जमना, प्रमेश्वरी, बसकर, शान्ति पि0 हरचंद का नाम कलमजन किया जाकर रामनिवास पुत्र हरचंद का नाम दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि वादभूमि बैंक के रहन हो तो बैंक ऋण रहन फक होने के पश्चात अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

रण सं. : 120/2015

वान :

1. रामनिवास पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. जडिया बेवा हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. शान्ति पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. परमेश्वरी पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. बसकर पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. जमना पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा। (फौत)
   5/1 कृष्ण कुमार, 5/2 रमेश कुमार, 5/3 राजबाला, 5/4 मन्जु, 5/5 शर्मिला पुत्र/पुत्रियां जमना
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. उपपंजीयक भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनिया : **वादी**
वकील श्री दलबीर बैनीवाल: **प्रतिवादी सं.** 5/1 **ता** 5/5
निर्णय **दिनांक :** 21.2.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता हरचन्द की रोही ना मलसीसर के खाता सं0 325/325 के खसरा सं0 229 की 6.829 है0 बारानी तेदारी कृषि भूमि स्थित थी जो वादी के पिता हरचन्द वल्द जीवण की स्वयं की ाकर्दा भूमि थी। उक्त भूमि को वादी के पिता हरचन्द हर प्रकार से उपयोग उपभोग हस्तान्तरण वसीयत आदि करने के पूर्ण अधिकार हासिल थे।

वादी के पिता हरचन्द वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर अपनी स्वतन्त्र ा से उक्त खातेदारी के सम्बन्ध में बरोबरू गवाहान दिनांक 07.04.1988 को पंजीयक भादरा के समक्ष एक वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी।

वादी के पिता के द्वारा उक्त वसीयत अपनी अन्तिम वसीयत थी। वादी के ा हरचन्द का दिनांक 14.10.2007 को गांव मलसीसर में देहान्त हो गया था। जिसके : हरचन्द के नाम की खातेदारी का वादी मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार हो ा था।

Scanned with CamScanner

वादी के पिता हरचन्द के द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत का प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 को शुरू से ही ज्ञान था। परन्तु उन्होने उक्त वसीयत की जानकारी होते हुए भी वादभूमि का विरासतन इन्तकाल सं0 1270 दिनांक 21.05.2015 को वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार दर्ज करवा कर तस्दीक रजिस्टर करवा लिया। जिससे वादभूमि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। वादभूमि के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में हरचन्द के द्वारा करवाई गई रजिस्टर्ड वसीयत के मुताबिक वादी वादभूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार बन गया था। उसी अनुसार वादभूमि पर तन्हा वादी का ही कब्जा काश्त है, परन्तु वादी से छुपे तौर पर वादभूमि का प्रतिवादीगण ने विरासती इन्तकाल दर्ज करवा लिया जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वादभूमि के सम्बन्ध में तस्दीक किये गये इन्तकाल सं0 1270 दिनांक 21.05.2015 से प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार हासिल नहीं हुये है तथा वादभूमि के सम्बन्ध में उक्त इन्तकाल बमुकाबले वादी प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने पर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 5 जबाबदावा पेश कर कथन किया कि आराजी हरंचद वल्द जीवन की स्वयं पैदाकर्दा नही थीं बल्कि जीवन पुत्र जोधा की खातेदारी कृषि भूमि थी जो जरिये वेरासतन हरचंद के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण औद हुई थी। प्रतिवादीया जमुना का देहान्त हो चुका है।कृषि भूमि में प्रतिवादीया जमुना के वारिसान का जन्म से हक हिस्सा प्राप्त हो गया। दादालाई कृषि भूमि को वादी के पिता व मिन प्रतिवादीया जुमना के पिता हरचंद को वसीयत करने का कतई कानूनी अधिकार नहीं था।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादभूमि रोही मलसीसर के खाता सं0 325/325 के खसरा सं0 229 की 6.829 है0 भूमि के संबंध में दिनांक 21.05.2015 को किया गया। इन्तकाल सं0 1270 बमुकाबले वादी प्रारम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है।

   — वादी

2. आया कि वादभूमि वादी के पिता की दादालाई सम्पति है जिसके संबंध में वादी के पिता को उक्त खातेदारी की वसीयत करने का हक अधिकार नहीं था।

   — प्रतिवादीगण

3. आय कि वादी वाद भूमि का मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार है।

   — वादी

4. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामनिवास व कृष्ण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति इन्तकालान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मलसीसर प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि वसीयत प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र 4ए, 5ए, फोटो प्रति प्रमाणित फहरिस्त कागजात सालाना ग्राम मलसीसर सम्वत् 2005 प्रदर्श 6, 7, फोटो प्रति प्रमाणित भू सैटलमेन्ट विभाग ग्राम मलसीसर प्रदर्श 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि ई.सं. 1270 दिनांक 21.05.15 नल एण्ड वॉयड है। यह कृषि भूमि वादी के पिता हरचन्द की खुद पैदाकर्ता है, जिसकी मेरे पिता ने मेरे पक्ष में वसीयत की है व मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज किया गया है। मेरी मुख्य परीक्षा में मैने साबित किया है कि खसरा सं0 229 की भूमि मेरे पिता की खुद पैदाकर्ता है। वसीयत पंजीकृत है। वसीयत में चल–अचल समस्त सम्पति जिसमें मलसीसर की 90 बीघा का उल्लेख है, बाकी भूमि को पूर्व में ही विक्रय कर दी। मगर स्वार्जित भूमि खसरा नं0 229 को मुताबिक वसीयत दर्ज करे। प्रदर्श 6, 7, 8 में खसरा मिलान प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार खसरा सं0 250, 251, 252 से ही खसरा नं0 229 बना है। जमाबान्दी प्रदर्श 6 व 7 सम्वत् 2005 की है जिसमें अकेले हरचंद के नाम कृषि भूमि है जबकि प्रदर्श 9 सम्वत् 2020 की है जिसमें खसरा सं0 221 व 223 की भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है तथा विभाजन में एएसओ के आदेश से अकेले हरचंद के नाम दर्ज हुई। यानि दादालाई सम्पत्ति खसरा सं0 221 व खसरा सं0 223 वाली कृषि भूमि है। प्रदर्श 11 सम्वत् 2020 खसरा सं0 11 की भूमि संयुक्त खाते की थी जो अकेले हीरा के नाम दर्ज हुई। एएसओ द्वारा खसरा सं0 12 की भूमि संयुक्त खाते की थी एएसओ द्वारा अकेले सोहना के नाम दर्ज हुई। प्रदर्श 12 खसरा सं0 7 की भूमि अकेले उदमी वल्द बुद्धा के नाम दर्ज हुई। एएसओ द्वारा खसरा सं0 8 की भूमि संयुक्त अकेले मल्ला वल्द बुद्धा के नाम दर्ज हुई। प्रदर्श 13 खसरा सं0 37 संयुक्त से हीरा वल्द बुद्धा के नाम दर्ज हुई। खसरा सं0 38 संयुक्त से हरचंद वल्द जीवण के दर्ज हुई है। खसरा सं0 39 संयुक्त से सोहना वल्द जोधा के नाम दर्ज हुई है। प्रदर्श 14 खसरा सं0 132 संयुक्त से सोहना वल्द जोधा के नाम दर्ज हुई। प्रदर्श 15 खसरा सं0 37 की संयुक्त से सोहना वल्द जोधा के नाम दर्ज हुई है। प्रदर्श 7 से 15 क सभी जमाबन्दीयां सम्वत् 2020 की है जिसमें परिवार की संयुक्त भूमिया एएसओ के आदेश से भाईयों के नाम अलग अलग दर्ज हुई, जबकि खसरा सं0 227 की भूमि सम्वत् 2005 में अकेले हरचंद वल्द जीवण के नाम खातेदारी दर्ज है।

वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि ई.सं. 1270 को सरपंच, पटवारी ने बाद जांच दर्ज किया है। इन्तकाल को सही नहीं मानते तो उसके खिलाफ अपील करते। वसीयत 90 बीघा भूमि की थी जब वसीयत की तब उसके पास 90 बीघा कृषि भूमि नहीं थी। इस वसीयत के खाता सं0, खसरा सं0 का कोई हवाला नहीं है। वसीयत 90 बीघा की थी मगर दावा 6.829 है0 का है। खसरा सं0 229 की कृषि भूमि के अर्जन, खरीद सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वसीयत फर्जी है न तो वसीयत के गवाहों के बयान करवाए। रामनिवास के बयान व सम्पूर्ण जिरह से साबित नहीं किया है कि वसीयत असली है व खसरा सं0 229 की भूमि स्वार्जित है। सजरा नसबनदान अधूरा दर्ज किया है। हरचन्द ने दो शादिया की थी। जमना कृष्ण की मां है जो कि हरचन्द की पूर्व पत्नी थी। रामनिवास जड़िया का पुत्र है जो कि हरचन्द की नाते हुई हुई थी।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

तनकीहार निर्णय इस प्रकार है।

Scanned with CamScanner

तनकी सं0 1 व तनकी सं0 3 दोनों परस्पर जुड़ी हुई है तथा दोनों तनकियों को साबित करने का भार वादी पर है। अतः दोनों तनकियों की एक साथ विवेचना किया जाना उचित है।

वादी ने अपने साक्ष्य में प्रदर्श चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मलसीसर प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि वसीयत प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र 4ए, 5ए, फोटो प्रति प्रमाणित फहरिस्त कागजात सालाना ग्राम मलसीसर सम्वत् 2005 प्रदर्श 6, 7, फोटो प्रति प्रमाणित सैटलमेन्ट विभाग ग्राम मलसीसर प्रदर्श 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 व स्वयं की वसीयत के गवाहान उक्त सभी साक्ष्य द्वारा हरचन्द को प्राप्त पैतृक विरासतन सम्पति खुद पैदाकर्ता सम्पति को अलग अलग साबित किया गया है। ग्राम मलसीसरके खसरा नं0 229 पुराना खसरा सं0 250, 251 की कृषि भूमि सम्वत् 2005 में अकेले हरचन्द वल्द जीवण के नाम दर्ज है, जो कि प्रदर्श 6 में अंकित है। सम्वत् 2005 की ग्राम मलसीसर की जमाबंदी प्रदर्श 7 में हरचन्द व जीसुख की सहखातेदारी भूमि दर्ज है जो कि पुराना खसरा नं0 252 है। इन्हीं पुराना खसरा नं0 250, 251, 252 से नया खसरा नं0 229 बना है जो कि अकेले हरचन्द वल्द जीवण के नाम सम्वत् 2017 की जमाबन्दी प्रदर्श 8 में अंकित है। प्रदर्श 9 से प्रदर्श 15 में हरचंद वल्द जीवा, उदमी, हीरा, सोहना वल्द जोधा की पारिवारिक संयुक्त सम्पति का विवरण दर्ज है जिसको एएसओ द्वारा सभी सदस्यों के नाम अलग अलग दर्ज किया गया, इस भूमि में नया खसरा नं0 229 पुराना खसरा सं0 250/2, 250/4, 251, 252 की भूमि शामिल नहीं है।

हरचंद द्वारा एक वसीयत दिनांक 7.04.88 को रामनिवास के पक्ष में की गई थी जो कि पंजीकृत हुई है। कार्यालय उपपंजीयक भादरा जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 7.04.1988 को उक्त पंजीकृत वसीयत प्रदर्श 3ए है। स्वयं प्रतिवादी सं0 5 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि 'अब ये वसीयत है जो मेरे ध्यान में आई हुई है व इस वसीयत के अलावा अन्य कोई वसीयत हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। यह बात सही है कि यह वसीयत मेरी जानकारी में अन्तिम है। वसीयत के गवाह मोटाराम पुत्र सुखराम ने भी अपने साक्ष्य में वसीयत को सही व अन्तिम वसीयत बताया है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 ने भी वसीयत का कोई खण्डन नहीं किया है।

उपरोक्त सभी साक्ष्यों से उक्त वसीयत के बारे में कोई विपरीत अवधारणा उत्पन्न नहीं होती है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं गवाह से वसीयत अंतिम एवं सही साबित होती है।

प्रस्तुत साक्ष्यों से वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि पुराना खसरा सं0 250, 251, 252 नया खसरा नं0 229 रोही ग्राम मलसीसर की भूमि हरचंद का विरासतन प्राप्त न होकर हरचंद के जीवलकाल की है, हरचंद को उक्त सम्पति की वसीयत करने का पूरा अधिकार था। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त दोनों तनकीया 1 व 3 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 2 को सावित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सावित हो कि ग्राम मलसीसर की (पुराना खसरा सं0 250, 251, 252) नया खसरा सं0 229 की 6.829 है0 कृषि भूमि हरचंद के पिता जीवण

कि जोधा की खातेदारी रही हो तथा हरचंद को जीवण से विरासतन प्राप्त हुई हो। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा हरचंद के खुद के नाम दर्ज खातेदारी व अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ दर्ज पैतृक खातेदारी भूमि अलग अलग साबित होती है। साक्ष्यों के अभाव में प्रतिवादीगण वादभूमि को दादालाई पैतृक सम्पति साबित करने में असफल रहे है। हिन्दू सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति में ही पुत्र पुत्रियों को जन्म से हक प्राप्त होता है व खातेदार के निर्वसीयती मृत्यु के बाद विरासतन अधिकार प्राप्त होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादभूमि को दादालाई पैतृक सम्पति साबित करने में असफल रहने के कारण तनकी सं0 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तीनों तनकीयात के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि रोही मौजा ग्राम मलसीसर की खसरा सं0 229 की 6.829 है0 की वादभूमि हरचंद वल्द जीवण की विरासतन दादालाई पैतृक सम्पति नहीं है। वादभूमि हरचंद वल्द जीवण के नाम तन्हा दर्ज उसके जीवनकाल की सम्पति है। चूंकि वादभूमि के बाबत हरचंद के नाम की जो फेहरिस्त कागजात सालाना सम्वत् 2005 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 का अवलोकन करने पर खाता सं0 151 की भूमि आराजी गैर मकबूजा दर्ज है व काश्तकार के खाने में हरचन्द वल्द जीवण दर्ज है जिससे वादभूमि हरचन्द के जीवनकाल की सम्पति होना साबित पाया जाता है एवं इसके खण्डन में प्रतिवादी पक्ष ने भूमि पुश्तैनी होने के बाबत व इससे पूर्व वादभूमि किसी अन्य के नाम दर्ज होने का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है, इसलिए भूमि पुश्तैनी होना साबित नहीं होता है। हरचंद द्वारा अपनी चल अचल सम्पति की वसीयत अपने पुत्र रामनिवास के पक्ष में दिनांक 07.04.88 को की गई वसीयत अंतिम व साबित है। उक्त वसीयतनामा पंजीकृत है तथा इस वसीयतनामा को किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वसीयतनामा को गलत व मिथ्या की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। पूनः नामान्तरकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया (summary procceding) होकर सरसरी कार्यवाही (Fiscal procceding) है जिसमें किसी पक्षकार के स्वत्व/अधिकार का निर्धारण नहीं किया जाता है। स्वत्व/अधिकार का निर्धारण नियमित वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त सक्षम न्यायालय द्वारा किऐ जाने का विधिक प्रावधान है।

उपर्युक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्व0 हरचन्द की मृत्यु के उपरान्त उसके खाते की भूमि के नामान्तरकरण की स्वीकृति की कार्यवाही के दौरान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार हरचंद द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 07.04.1988 के आधार पर नामान्तरणकरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित था किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा वसीयत के आधार पर नहीं अपितु धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 के तहत नामान्तरकरण दिनांक 21.05.2015 स्वीकृत किया गया जिसका न्यायालय की राय में समर्थन किया जाना उचित नहीं है। हरचंद द्वारा की गई वसीयत के आधार पर रामनिवास पुत्र हरचंद वादभूमि को अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। चूंकि प्रथम दृष्टया साबित पाया जाता है कि वादभूमि की बाबत हरचंद की मृत्यु वसीयती हुई है, इसलिए हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान वादभूमि पर लागू नहीं होते है जबकि इंतकाल सं0 1270 हरचंद की मृत्यु निर्वसीयती मानकर दर्ज किया गया है। इसलिए वादभूमि का विरासतन इन्तकाल वादी के बमुकाबले शुन्य व प्रभावहीन

Scanned with CamScanner

। वादभूमि का इन्तकाल वसीयत के आधार पर वादी के नाम खोला जाकर उसे दभूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

अत : वाद वादी साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की ाती है कि रोही मौजा ग्राम मलसीसर की खसरा सं0 229 की 6.829 है0 कृषि भूमि का ादी वसीयतन अकेला खातेदार काश्तकार है, इंतकाल सं0 1270 दिनांक 21.05.2015 ादी के बमुकाबले शून्य व प्रभावहीन है, जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2071–74 के ाता सं0 325/325 से जड़ीया देवी पत्नी हरचंद, रामनिवास, जमना, प्रमेश्वरी, बसकर, ाति पि0 हरचंद का नाम कलमजन किया जाकर रामनिवास पुत्र हरचंद का नाम दर्ज या जावे। इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि वादभूमि बैंक के रहन हो तो ऋण रहन फक होने के पश्चात् अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना पना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner